

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उपवान

दलीप सिंह

वनाम

मनोहरलाल भादरा

दावा वाकत :- 89 RT Act


मुकदमा नम्बर :- 360/2021

निर्णय दिनांक :- 07-12-2021

वादी की ओर से वकील श्री. शोभा शर्मा ए. की व प्रतिवादी सं. 1 RT Act की ओर से वकील श्री. पवन मिश्रा ए. की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि 'श्री. मोंजा के के खाला संख्या 137/132 के खमरा सं. 432 की 1.8060 हेक्टेयर, खमरा सं. 433 की 1.075 हेक्टेयर, खमरा सं. 434 की 1.214 हेक्टेयर, खमरा सं. 542/2 की 1.4040 हे. खमरा सं. 544 की 0.8030 हे. खमरा सं. 635 की 1.6060 हे. खमरा सं. 729 की 5.2360 हे. खमरा सं. 755 की 5.5840 हे. तारानी खातेदारी कारतकारी इति ममि में उलियादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा खाला रिकार्ड में दर्ज है। से प्रतिवादी सं. 1 मनोहरलाल का नाम कलमलेन किया जाकर वादी दलीप सिंह व उलियादी संख्या 2 दुलीचंद को खाला तारावर के कारतकार घोषित किए जाते हैं। धुकि उलियादी संख्या 1 व उताड ने अपना समुदाई हक व हिस्सा वादी व उलियादी सं. 2 के पक्ष में त्याग कर चुना कर लिया है। इसलिए वाग विषे गये हिस्से पर पंजीपन विभाग को देप पंजीपन शुल्क एव हामप दुली. डादा करने व यदि इति इति बैंक के खलन है तो खलन मुक्त होने के उपरान्त ही खाला रिकार्ड में समल द्वायम किया जावे। खालीनामी को डिक्री का भाग पटा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पत्र डिक्री आज दिनांक 07-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 (अधिर प्रशासी)
 भादरा जिला हुनमनगढ़
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 प्र.गा. के संग अ.-2021
 कैम्प